प्रस्तावना

लक्ष्य कथन

अनुसन्धान, शिक्षा और विस्तार द्वारा सतत् आधार पर वनों से सम्बन्धित समस्याओं को निपटाने और लोगों, वनों एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होने वाले सहानुबन्धों को प्रोत्साहित करने के लिए जानकारी, प्रौद्योगिकियों एवं समाधानों को सृजित, रक्षित, प्रसारित एवं उन्नत करना।

संकल्पना

राष्ट्रीय वानिकी कार्रवाई कार्यक्रम और राष्ट्रीय वानिकी अनुसन्धान योजना के परिचालनीयकरण द्वारा वनावरण में वृद्धि करना और वन उत्पादकता बढ़ाना।

भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री भा.वा.अ.शि.प. के अध्यक्ष हैं और महानिदेशक इसके मुख्य कार्यकारी हैं। केन्द्रीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार की अगुवाई में सामान्य निकाय भा.वा.अ.शि.प. की सर्वोच्च प्राधिकारी है। इसके सदस्यों में विभिन्न राज्य सरकारों, शैक्षिक संस्थानों और वैज्ञानिक संगठनों के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं।

(क) संरचना

संगठनात्मक चार्ट पृष्ठ X पर प्रस्तुत किया गया है। शासी निकाय के मुखिया मुख्य कार्यकारी अर्थात महानिदेशक हैं, जो भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् में निर्णय लेने के प्राधिकारी हैं। महानिदेशक की सहायता के लिए चार उप महानिदेशक (प्रशासन, अनुसन्धान, शिक्षा और विस्तार निदेशालयों के मुखिया); निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग); तथा सचिव, भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् हैं। इसके अलावा, उप महानिदेशकों की सहायता के लिए मुख्यालय में सहायक महानिदेशक और वैज्ञानिक हैं। प्रत्येक संस्थान के मुखिया निदेशक हैं और उनकी सहायता के लिए अनुसन्धान समन्वयक, वैज्ञानिक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हैं।

अनुसन्धान निदेशालय

निदेशालय के मुखिया उप महानिदेशक हैं जिनकी सहायता के लिए तीन सहायक महानिदेशक हैं। अनुसन्धान योजना प्रभाग परिषद् स्तर पर अनुसन्धान नीति समिति (आर.पी.सी.) की बैठक और प्रत्येक संस्थान में स्वीकृत कलैण्डर के अनुसार संस्थान स्तर पर अनुसन्धान सलाहकार समूह (आर.ए.जी.) की बैठकें करने के लिए उत्तरदायी है। यह राष्ट्रीय स्तर की समन्वित परियोजनाओं के सूत्रीकरण के लिए परिषद् के सभी संस्थानों के साथ समन्वयन करता है। बांस तकनीकी सहायता समूह के एक भाग के रूप में भी यह विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रभाग नियमित रूप से विभिन्न परियोजनाओं का अनुश्रवण और समकक्ष समीक्षा करता रहता है।

जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग, जैवविविधता, जलवायु परितर्वन से सम्बन्धित अनुसन्धान और नीति विषयों पर कार्य कर रहा है, जिसके फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन (यू.एन.एफ. सी.सी.सी.) और जैवकीय विविधता पर सम्मेलन (सी.बी. डी.) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। प्रभाग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए जैवविविधता और जलवायु परिवर्तन में वन अधिकारियों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों तथा अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भी जुटा है। भा.वा.अ.शि.प. एक प्रेक्षक संगठन की हैसियत से जलवायु परिवर्तन बैठकों पर सभी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन में भाग लेती है।

शिक्षा निदेशालय

इस निदेशालय के मुखिया उप महानिदेशक हैं, जिनकी सहायता के लिए एक सहायक महानिदेशक हैं। यह विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए परिषद् के वैज्ञानिक एवं प्रबन्धकीय संवर्ग की क्षमता निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यह वानिकी शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर वानिकी शिक्षा को बढ़ाता भी है। यह कर्मचारियों के सेवा मामलों का रखरखाव करता है और नियमित फ्लेक्सिबिल कम्पलीमेन्टिग स्कीम और विभागीय पदोन्नति समिति कार्यकलापों का आयोजन करता है। यह आवश्यकतानुसार मानव संसाधनों की भर्ती भी करता है। इस निदेशालय ने वानिकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुसार प्रत्यायन प्रक्रिया की शुरूआत भी की है और यह विद्यमान वन नीतियां, अधिनियमों और रूपरेखा के विश्लेषण के साथ–साथ राष्ट्रीय नीति अनुसन्धान पुनरीक्षण करता है।

विस्तार निदेशालय

इस निदेशालय के मुखिया उप महानिदेशक हैं और उनकी सहायता करने के लिए दो सहायक महानिदेशक हैं। मीडिया और विस्तार प्रभाग विभिन्न प्रकाशनों यथा– बुलेटिनों, ब्रॉशअर्स, पम्फलेटों, न्यूजलेटरों और वार्षिक प्रतिवेदन को सुलभ कराता है और राजभाषा हिन्दी को प्रोत्साहित करने का कार्यकलाप करता है। यह गहन विस्तार रणनीतियों के जरिए वन विज्ञान केन्द्रों और प्रदर्शन गांवों के द्वारा विभिन्न लक्ष्य समूहों विशेषकर किसानों में परिषद् द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का विस्तार भी करता है। पर्यावरण प्रबन्धन प्रभाग परामर्शों के जरिए विभिन्न एजेन्सियों में पर्यावरण एवं वानिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक विशेषज्ञता का विस्तार करता है।

प्रशासन निदेशालय

इस निदेशालय के मुखिया उप महानिदेशक हैं और उनकी सहायता के लिए दो सहायक महानिदेशक हैं। सहायक महानिदेशक, प्रशासन परिषद् के सामान्य प्रशासन और बजट संबंधी मामलों में सहायता करते हैं।

सहायक महानिदेशक (सू.प्रौ. एवं वा.सां.) के अधीन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग सभी संस्थानों और परिषद् मुख्यालय में सूचना संचार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भा.वा. अ.शि.प. सर्वर फार्म इफरिस अनुप्रयोग तथा अन्य सम्बद्ध मुख्य सेवाओं को होस्ट करता है। इस प्रभाग के अधीन, सांख्यिकी प्रभाग वार्षिक वानिकी सांख्यिकी रिपोर्टों और बुलेटिनों के प्रकाशन के माध्यम से प्रसार के लिए सभी राज्यों से वानिकी से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र करता है।

निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सहायता के लिए एक सहायक महानिदेशक (पंचायत एवं मानव आयाम प्रभाग) और एक वैज्ञानिक हैं, जो परियोजनाएं विकसित करने और समझौता पत्रों के प्रक्रमण के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहानुबन्ध विकसित करने का कार्य सम्पादित करते हैं।

भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् के संस्थान एवं केन्द्र

भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् के नौ क्षेत्रीय अनुसन्धान संस्थान और चार अनुसन्धान केन्द्र हैं, जो देश की वानिकी अनुसन्धान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के विभिन्न जैव–भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित हैं।

वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून को 1906 में स्थापित किया गया, यह एक प्रमुख वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणित संस्थान है। यह उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों की वानिकी अनुसन्धान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्व इम्पीरियल वन अनुसन्धान संस्थान द्वारा किए गए वानिकी अनुसन्धान की समृद्ध परम्परा को आगे बढ़ा रहा है। वन अनुसन्धान संस्थान, देहरादून के अधीन सामाजिक वानिकी एवं पारि–पुनर्स्थापन के लिए उन्नत केन्द्र, इलाहाबाद सामाजिक वानिकी एवं पारि–पुनर्स्थापना पर ध्यान केन्द्रित करता है तथा यह पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार और उत्तर प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र की अनुसन्धान आवश्यकताओं को पूरा करता है।

वन अनुसन्धान संस्थान के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन एवं अकाष्ठ वन उपज में अधिस्नातकोत्तर उपाधिपत्र के अलावा वानिकी, काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्रबंधन तथा सैलूलोज एवं कागज प्रौद्योगिकी विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि आयोजित करने के लिए सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। यह पी.एच.डी. उपाधि हेतु डॉक्टरेट कार्यक्रम भी चलाता है।

उष्णकटिबन्धीय वन अनुसन्धान संस्थान, जबलपुर मध्य भारत के राज्यों, यथा–मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में अनुसन्धान कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसका छिंदवाड़ा में वानिकी अनुसन्धान एवं मानव संसाधन विकास के लिए एक सैटेलाइट केन्द्र है, जो वानिकी क्षेत्र में व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के द्वारा गरीबी उन्मूलन हेतु मानव संसाधन विकास के विशेषीकृत क्षेत्र में अनुसन्धान करता है।

शुष्क वन अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर राजस्थान, गुजरात और दादर एवं नगर हवेली में अनुसन्धान कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह संस्थान जैवविविधता संरक्षण एवं अन्तिम उपभोक्ताओं के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित करने हेतु, वनस्पति आवरण और शुष्क एवं अर्ध–शुष्क भूमि उत्पादकता बढ़ाने के लिए वानिकी एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसन्धान करता है।

हिमालयन वन अनुसन्धान संस्थान, शिमला को शंकुवृक्ष पुनर्जनन अनुसन्धान केन्द्र से उच्चीकृत कर 1987 में स्थापित किया गया था। यह संस्थान जम्मू व कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश राज्यों की अनुसन्धान आवश्यकताओं को हिमालयन एवं शीत रेगिस्तान क्षेत्रों पर अनुसन्धान केन्द्रित कर पूरा करता है। शीत रेगिस्तानों की विशिष्ट अनुसन्धान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टाबो और लाहौल–स्पिति में स्थित एक अनुसन्धान स्टेशन सहित स्थल–विशेष अनुसन्धान करने के लिए इसके नौ क्षेत्र अनुसन्धान स्टेशन हैं। उन्नत अनुसन्धान करने के लिए इस संस्थान को "शीत रेगिस्तान वनीकरण एवं चारागाह प्रबन्धन हेतु उन्नत केन्द्र" के रूप में भी घोषित किया गया है।

वर्षा वन अनुसन्धान संस्थान, जोरहाट को उत्तर–पूर्वी राज्यों में वानिकी अनुसन्धान में सहायता करने के लिए 1988 में स्थापित किया गया। यह संस्थान झूम खेती के तहत निम्नीकृत भूमियों के पुनरूद्धार के लिए संरक्षण विधियों, समुदाय वनों के प्रबन्धन और बांस तथा बेंत के बहु–पक्षीय उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसके दो अनुसंधान केंद्र हैं – बांस और बेंत के लिए उन्नत अनुसन्धान केन्द्र, आइजोल (मिजोरम) एवं वन आधारित आजीविका एवं विस्तार केंद्र, अगरतला (त्रिपुरा)।

वन उत्पादकता संस्थान, रांची को पूर्वी क्षेत्रों यथा–बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1993 में स्थापित किया गया। अनुसन्धान एवं विस्तार कार्यकलापों को करने के लिए संस्थान के अधीन वन अनुसन्धान केन्द्र, मन्दार (रांची), पर्यावरणीय अनुसन्धान स्टेशन, सुकना (पश्चिम बंगाल) और वन अनुसन्धान एवं विस्तार केन्द्र, पटना (बिहार) हैं।

वन जैवविविधता संस्थान, हैदराबाद को पूर्व वन अनुसन्धान केन्द्र का उच्चीकरण करके दिसम्बर 2012 में आन्ध्र प्रदेश की वन जैवविविधता पर अनुसन्धान करने के उत्तरदायित्व के साथ पूर्वी घाटों की वन जैवविविधता पर विशेष ध्यान देने हेतु स्थापित किया गया।

काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलुरू को 1988 में स्थापित किया गया। यह संस्थान कर्नाटक और गोवा राज्यों की वानिकी अनुसन्धान आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस संस्थान ने पारम्परिक काष्ठ विज्ञानों के अलावा वृक्ष सुधार और काष्ठ ऊर्जा के क्षेत्र में अपने अनुसन्धान कार्यकलापों का विस्तार किया है। इस संस्थान को काष्ठ के उन्नत उपयोग, कच्छ वनस्पति एवं तटवर्ती पारिस्थितिकी और पश्चिमी घाटों के चन्दन अनुसन्धान के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन के लिए केन्द्र के रूप में भी व्यापक मान्यता मिली है।

वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर को 1959 से वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय के तहत कार्यरत वन अनुसन्धान केन्द्र का उच्चीकरण करके 1988 में बनाया गया। यह संस्थान तमिलनाडु, केरल, अण्डमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूहों की वानिकी अनुसन्धान आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों यथा– सागौन, कैज्वरिना, यूकेलिप्टस, पोंगामिया, जट्रोफा और ऐकेशिया के लिए बीज उत्पादन क्षेत्रों और कृंतकीय उद्यानों का रखरखाव करता है। संस्थान के केरल, तमिलनाडु और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में क्षेत्र इकाइयां हैं।

(ख) अनुसन्धान प्रबन्धन

अनुसन्धान निदेशालय

यह निदेशालय परिषद् के संस्थानों द्वारा चलाई जा रही सभी अनुसन्धान परियोजनाओं का आवश्यकता आधारित होना तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय वानिकी अनुसन्धान समस्याओं का समाधान करने वाला होना सुनिश्चित करता है। निदेशालय द्वारा अनुसन्धान प्राथमिकीकरण सभी हितधारकों एवं अन्तिम उपभोक्ताओं को शामिल करके सहभागी क्रियाविधि द्वारा किया जाता है।

अनुसन्धान योजना प्रभाग प्रत्येक संस्थान स्तर पर अनुसन्धान सलाहकार समूह बैठकों तथा महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में परिषद् मुख्यालय में राष्ट्रीय स्तर की अनुसन्धान नीति समिति बैठकों के द्वारा भा.वा.अ.शि.प. के नौ अनुसन्धान संस्थानों और चार अनुसन्धान केन्द्रों की प्लान निधीयित वानिकी परियोजनाओं की आयोजना, सूत्रीकरण और अन्तिम रूप देने का कार्य करता है। अनुसंधान नीति समिति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर की अनुसंधान आवश्यकताओं की समरूपता को ध्यान में रखते हुए समाज की आशाओं के अनुरूप उल्टी विनियोग, पारदर्शिता तथा सहभागिता दृष्टिकोणों के आधार पर उच्च कोटि के वानिकी अनुसंधान/ज्वलन्त समस्याओं पर निवेश करने का निर्णय लिया जाता है। समिति द्वारा संस्थानों के अनुरोध (यदि हों) पर जारी परियोजनाओं की निरंतरता और परिवर्तन के लिए भी विचार किया जाता है।

अनुसंधान सलाहकार वर्ग (आर.ए.जी) : 2015–16 में बजट की कमी के कारण संस्थान स्तर पर व.व.अ.सं., जोरहाट के अलावा किसी अन्य संस्थान में आर.ए.जी. की औपचारिक बैठक नहीं की जा सकी और भा.वा.अ.शि.प. स्तर पर अनुसंधान नीति समिति की बैठक भी नहीं की जा सकी।

संस्थान स्तर पर आर.ए.जी. की बैठक और भा.वा.अ.शि.प. स्तर पर आर.पी.सी. की बैठक न होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि जारी परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने और आवश्यकतानुसार परिवर्तन/सुधार/विस्तार पर सुझाव हेतु महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में सभी जारी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की जायेगी। समीक्षा बैठक भा.वा.अ. शि.प. के बोर्डरूम में 22 एवं 23 जनवरी 2016 को आयोजित की गई जिसमें सभी निदेशक, समूह समन्वयक (अनुसंधान), उप महानिदेशक, निदेशक (अं.स.), सहायक महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. के अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिक शामिल हुये। नई परियोजनायें जो XVI आर.पी.सी. 2015 में अनुमोदित थी, किन्तु बजट की कमी के कारण क्रियान्वित नहीं की जा सकी थीं, उन्हें मार्च/अप्रैल 2016 में बजट की स्थिति की समीक्षा होने के पश्चात शुरू करने की संस्तुति की गई। महानिदेशक, भा.वा.अ.शि.प. की अध्यक्षता में 10–11 मार्च 2016 को हुई आर.ए.जी. में अनुमोदित व.व. अ.सं., जोरहाट की जारी तथा नई परियोजनायें वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा अनुमोदित की गई।

समीक्षा समिति के चर्चा के उपरांत संस्थानों द्वारा प्रस्तावित कुल 80 परियोजना जिसका बजट परिव्यय 3.42 करोड़ रूपये था, उसे 2016–17 के लिए अनुमोदित किया गया। समिति द्वारा 121 जारी परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें से रू. 2.91 करोड़ बजट परिव्यय के साथ 64 परियोजनायें जारी रखने के लिए अनुमोदित की गई।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रभाग, अनुसंधान निदेशालय के अन्तर्गत आता है जो भा.वा.अ.शि.प. संस्थानों की सभी जारी परियोजनाओं की वार्षिक समीक्षा तथा मूल्यांकन करता है। यह परियोजनाओं के समय पर समापन एवं पूर्णता के साथ उद्देश्यों की उपलब्धियों हेतु सुधारात्मक उपायों संबंधित सुझाव देता है। वर्ष के दौरान 116 भा.वा.अ.शि.प. प्लान परियोजनाओं और 100 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएओं सहित कुल 216 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अवधि के दौरान परिषद् के सभी संस्थानों की 305 (181 परिषद् निधीयित और 124 बाह्य सहायता प्राप्त) जारी एवं पूरी की गई अनुसन्धान परियोजनाओं का वार्षिक पुनरीक्षण भी किया गया।

जैवविविधता तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग (जै.ज.प.) जैवविविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुसन्धान एवं नीति मुद्दों पर कार्य कर रहा है जिसके फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.), रेगिस्तानीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.डी.) और जैविकीय विविधता पर सम्मेलन (सी.बी.डी.) के अन्तर्गत समझौते किए गए। प्रभाग द्वारा जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन पर कई अनुसंधान परियोजनायें और लघु अवधि तथा दीर्घावधि नीति कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं और यह प्रभाग जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन पर वन अधिकारियों, वैज्ञानिकों तथा अन्य हितधारकों की विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर क्षमता वृद्धि के लिए भी कार्यरत है।

- **हिमालय में आर.ई.डी.डी.–प्लस के क्रियान्वयन में अनुभव का उपयोग एवं विकासः** आर.ई.डी.डी.–प्लस परियोजना, आई.सी.आई.एम.ओ.डी के सक्रिय सहयोग से क्षेत्रीय आधार पर भूटान, भारत, म्यांमार और नेपाल में क्रियान्वित की जा रही है। भारत में यह सहभागिता उत्तर–पूर्वी क्षेत्र पर केंद्रित आर.ई.डी.डी.–प्लस क्षमतावृद्धि के लिए है। हिमालय पर आर.ई.डी.डी.–प्लस की दो दिवसीय प्रारंभिक कार्यशाला का आयोजन 28–29 जनवरी 2016 को मिजोरम राज्य की आईजॉल में भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों के अधिकारियों की क्षमतावृद्धि के लिए किया गया।
- **उत्तराखंड, भारत में वन पंचायत (ग्राम समुदाय वन) पर आर.ई.डी.डी.–प्लस की प्रायोगिक परियोजनाः** भा.वा.अ.शि.प. ने उत्तराखंड की वन पंचायत (ग्राम सामुदायिक वन) में आर.ई.डी.डी.–प्लस प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है। उत्तराखंड में समुदाय प्रबंधित वन जैसे वन पंचायत (सामुदायिक वन), वनों पर सामुदायिक नियंत्रण का उदाहरण है। इन वनों में प्रदर्शन क्रिया–कलापों के रूप में आर.ई.डी.डी.–प्लस कार्यवाही की शुरूआत की जा रही है। कलसा गोला उपजलागम के परियोजना क्षेत्र में 123 नमूना भूखंड बनाये गये हैं। विभिन्न कार्बन पूल जैसे धरातल पर वृक्ष, जड़ी बूटी, झाड़ियां, मृदा जैविक कार्बन के कार्बन स्टॉक का आकलन पूर्ण किया जा चुका है। परिवारों के सामाजिक–आर्थिक प्रोफाईलों तथा वन निम्नीकरण के कारकों के विश्लेषण हेतु कालसा गोला परियोजना क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। एकत्रित डाटा का प्रारंभिक विश्लेषण कर लिया गया है।
- **भारत में औषधीय पादपों की मांग और आपूर्ति का आकलन करने हेतु अध्ययन एवं सर्वेक्षण–राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के संदर्भ में :** आयुष उद्योगों, ग्रामीण घरों एवं लोक चिकित्सों/परम्परागत चिकित्सों द्वारा देशभर में औषधीय पादपों की खपत के बारे में सूचना एकत्र की गई है। देश भर के बाजारों में व्यवसाय का डाटा भी एकत्र किया गया है। परियोजना की पहली और दूसरी रिपोर्टों को राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है। परियोजना की प्रारूप अंतिम रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय परामर्शी बैठक भी आयोजित की गई।

निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग)

निदेशक (अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय निधीयन एजेन्सियों से बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के प्रक्रमण एवं कार्यान्वयन के लिए भा.वा.अ.शि.प. के संस्थानों के साथ समन्वयन एवं सम्पर्क करता है। यह क्रमशः महानिदेशक, भारतीय वानिकी अनुसन्धान एवं शिक्षा परिषद् और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से परिषद् के संस्थानों की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के समझौतों की स्वीकृति एवं हस्ताक्षर की प्रक्रिया को सुगम बनाता है।

★ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक निम्नलिखित सहमति ज्ञापनों को जारी/अनुमोदित किया गया :

राष्ट्रीय

- काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलुरू तथा केन्द्रीय संस्थान, प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंव प्रौद्योगिकी, चेन्नई के बीच सहमति ज्ञापन।
- दो अनुसंधान परियोजनाओं यथा ''जैव इथनोल उत्पादन में हेमीसेलूलोस निष्कर्षण के लिए

लिग्नोसेलुलोस जैवमात्रा का पूर्व उपचार'' तथा ''कागज बनाने के लिए कैटायनाइज्ड नैनो–सेलूलोसिक शक्ति एजेन्ट की तैयारी तथा अनुप्रयोग'' के लिए वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून तथा अवन्था औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र, थापर प्रौद्योगिकी परिसर, भाड़सोन रोड, पटियाला के साथ।

- वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून तथा यूनाईटेड स्प्रिट लिमिटेड, बंगलूरू के बीच ''भारतीय काष्ठ का उपयोग करते हुए वाइन मेचुरेशन'' परियोजना हेतु सहमति ज्ञापन।
- शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के बीच ''राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर के नये परिसर के लिए शहरी वानिकी मॉडल के अभिकल्प, विकास एवं निष्पादकता माड्यूल'' हेतु सहमति ज्ञापन।
- वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर तथा मैसर्स वर्षा जैवविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भारत प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद के बीच ''कृषि/वानिकी महत्व के नाशी कीटों के प्रबंधन हेतु *हाइड्नोकार्पस पेंटाड्रा* के बीजों का प्रयोग करते हुये सर्वाधिक प्रभावशाली जैव कीटनाशक प्रतिपादन का पंजीकरण एवं वाणिज्यीकरण'' नामक परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन।
- वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, जोरहाट तथा
  - जी.बी.पी.आई.एच.ई.एस.डी, कोसी कटरामल अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड के साथ ईटानगर यूनिट, अरूणाचल प्रदेश तथा
  - एन.आई.आर.डी.पी.आर.–एन.ई.आर.सी. के कार्यालय जवाहरनगर, खानपारा, गुवाहाटी के साथ अनुसंधान सहभागिता एवं सहयोग हेतु सहमति ज्ञापन।
- शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के साथ राजस्थान राज्य वन विभाग, जयपुर का ''राजस्थान के वन वृक्ष प्रजातियों के लिए पौधशाला मैनुअल्स का विकास'' परियोजना प्रस्ताव पर सहमति ज्ञापन।
- वानिकी तथा पर्यावरणीय अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के क्षेत्र में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.) देहरादून तथा हरित शुरूआत प्रमाणीकरण एवं निरीक्षण निकाय, नोयडा के बीच सहमति ज्ञापन।

अन्तर्राष्ट्रीय

- भा.वा.अ.शि.प. तथा वन विभाग एवं पार्क सेवायें, कृषि एवं वन, रॉयल भूटान सरकार के बीच सहमति ज्ञापन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया है।
- जैव प्रौद्योगिकी, वृक्ष सुधार एवं वन आनुवंशीय संसाधनों के संरक्षण तथा वर्द्धितमूल्य वन उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भा.वा.अ.शि.प. तथा केसेटसार्ट विश्वविद्यालय, बैंकॉक के बीच सहमति ज्ञापन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

★ परिषद् के संस्थानों के बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की स्थिति को 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए संकलित किया गया। इसका सारांश नीचे दिया गया है

संस्थान	बाह्य् सहायता प्राप्त जारी परियोजनायें		प्रस्तुत की गई बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनायें		पूर्ण की गई बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनायें		एम ओ यू/ परामर्शी परियोजनाओं की कुल संख्या
	परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल बजट परिव्यय (रू.लाखों में)	परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल बजट परिव्यय (रू.लाखों में)	परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल बजट परिव्यय (रू.लाखों में)	
शु.व.अ.सं., जोधपुर	16	268	7	139	3	26	6
व.अ.सं, देहरादून	39	2457	40	2889	5	166	5
हि.व.अ.स., शिमला	10	198	20	773	3	41	3
व.आ.वृ.प्र.सं., कोयम्बटूर	23	461	26	1225	8	324	–
व.उ.सं., रांची	5	1499	2	4002	3	115	1
व.जै.सं., हैदराबाद	3	51	5	122	1	20	–
का.वि.प्रौ.सं., बंगलुरू	24	388	19	309	3	62	–
व.व.अ.सं. जोरहाट	8	195	15	872	1	6	6
उ.व.अ.सं. जबलपुर	16	354	27	779	4	39	4
कुल	**144**	**5871 (58.71 करोड़)**	**161**	**11110 (111.10 करोड़)**	**31**	**798 (7.98 करोड़)**	**25**